न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–575/2026

मो0 आरीफ बनाम् बिहार सरकार

महुआ थाना कांड संख्या–562/2025

अंतर्गत धारा–103 भारतीय न्याय संहिता।

06-05-2026 आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा एक आवेदन दाखिल कर निवेदित किया गया है कि अब तक के अनुसंधान के क्रम में महुआ पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार करने के लिए कोई तथ्य इकट्ठा नहीं किया गया है इसलिए आवेदक को गिरफ्तार करने की संभावना स्पष्ट रूप से उजागर नहीं हुआ है। इसलिए आवेदक **मो0 आरीफ पेसर–मो0 आजीम** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन प्रचालित नहीं करना चाहते हैं उसे वापस लेने की अनुमति दी जाय।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से विद्वान लोक अभियोजक सहमत है। उभय पक्षों के तर्कों एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0–575/2026 वापस लिये जाने के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official